

सं.ए.45011/37/2017-सीएचएस-II(भाग)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सीएचएस-II अनुभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक: 17 सितंबर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सीएचएस अधिकारियों को नॉन-फंक्शनल अपग्रेडेशन (एनएफयू) देने के संबंध में।

उक्त विषय पर, अद्योहस्त ताक्षरी को इस मंत्रालय के दिनांक 13.10.2017 के कार्या.ज्ञा.सं. ए.45011/35/2017-सीएचएस-II का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय को सेवानिवृत्त सीएचएस अधिकारियों के संबंध में एसएजी/एचएजी के स्तर पर एनएफयू के लाभ देने में विलंब के संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

2. इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि सीएचएस के सभी उप-संवर्गों अर्थात् जीडीएमओ, अध्यापन, गैर-अध्यापन और जनस्वास्थ्य उप-केंद्रों के सेवानिवृत्त अधिकारियों, जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद **पूर्ण पेंशन** आहरित कर रहे हैं, के संबंध में एसएजी/एचएजी स्तर पर एनएफयू का लाभ देने के लिए सर्तकता अनापत्ति की आवश्यकता नहीं होती।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक : यथोक्त।

(सितांशू मोहन राउत्रे)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफैक्स : 23062550

1. डीजीएचएस, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
2. निदेशक, (सीजीएचएस), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. सीएचएस के सभी सहभागी एकक (मानक सूची के अनुसार)
4. मुख्य लेखा नियंत्रक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली, इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कड़े अनुपालन के लिए इस कार्यालय ज्ञापन को सभी संबंधित प्रधान लेखा अधिकारी के ध्यान में लाया जाए।
5. आदेश फॉल डर

प्रतिलिपि : -

1. सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव(एच) के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (जीएम) के प्रधान निजी सचिव
2. निदेशक(सीएचएस)/अवर सचिव (डीडीएम)/अवर सचिव(एसएन)